राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

सं. एफ. 8(जी)( ) रूल्स/2015/7960 दिनांक 15.06.2015

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 337 के साथ पठित धारा 69–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका (गैर–कृषिक भूमि का अभ्यर्पण और पूर्ण स्वामित्व पट्टे की मंजूरी) नियम, 2015 है।

(2) इनका प्रसार राजस्थान राज्य के समस्त नगरपालिक क्षेत्रों में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो,–

(क) "अधिनियम" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से मुख्य नगरपालिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(च) "पट्टा" से शाश्वत काल में पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की मंजूरी के लिए नगरपालिका द्वारा निष्पादित पट्टा–विलेख अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय–2

गैर–कृषिक भूमि का अभ्यर्पण और अनुज्ञा की मंजूरी

3. निर्बन्धन.– (1) अधिनियम की धारा 69–क के अधीन कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी, यदि,

(i) भूमि, भूमि अर्जन से संबंधित विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन अर्जन के अधीन है;

(ii) भूमि, रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्र या राज्य सरकार या इस निमित्त बने केन्द्र या राज्य सरकार के किसी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित अन्य किसी सड़क की सीमाओं के भीतर या भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर आती है, इनमें से जो भी लंबी हो;

(iii) भूमि, ऐतिहासिक संस्मारकों और पुरातत्वीय महत्त्व के स्थानों, पुरातत्वीय संस्मारकों, हैरिटेज प्रसीमाओं और सरकार द्वारा घोषित अन्य निर्बन्धित क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर के भीतर आती है;

(iv) भूमि, तेल कम्पनियों की भूमिगत पाइपलाइन की मध्य रेखा के दोनों ओर की निर्बन्धित दूरी के भीतर आती है;

(v) भूमि, तेल भंडारकरण डिपो, गैस गोदामों, पैट्रोल पम्पों या किसी अन्य विस्फोटक भंडारकरण डिपो की सीमाओं के बारे में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा–अधिसूचित दूरी के भीतर आती है;

(vi) भूमि, जिसके लिए नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 33) के उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं;

(vii) भूमि, केन्द्र या राज्य सरकार या कानूनी या अकानूनी निकायों, केन्द्र या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा या के नियंत्रण के अधीन स्थापित प्राधिकरणों या कंपनियों से संबंधित है या उनमें निहित है; और

(viii) भूमि, देवता या वक्फ से संबंधित है।

4. अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए आवेदन.– (1) नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित, अधिनियम की धारा 69–क में विनिर्दिष्ट भूमि के बारे में नगरपालिका के पक्ष में अधिकारों के अभ्यर्पण के लिए आवेदन निम्नलिखित के साथ, प्ररूप–1 में प्राधिकृत अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसी भूमि धारण करता है;

(i) प्ररूप–2 में शपथपत्र;

(ii) प्ररूप–3 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र;

(iii) आवेदन फीस जो सरकार द्वारा अवधारित की जाये के संदाय की रसीद;

(iv) अभ्यर्पित भूमि के बारे में अधिकारों का सम्यक् रूप से सत्यापित सबूत; और

(v) यथोचित मापमान में बनाया गया अभ्यर्पित भूमि का नक्शा, जो 1: 15,000 से कम का न हो, निम्नलिखित दर्शित करेगा,–

(क) स्थल की अवस्थिति, विद्यमान पहुंच सड़कें और स्थल के आस–पास के अन्य भौतिक लक्षण;

(ख) पार्श्व क्षेत्रों, खसरा संख्यांकों या, यथास्थिति, भूखण्ड संख्यांकों को दर्शित करते हुए भूमि की सीमाएं;

(ग) विद्यमान संरचनाएं, कच्ची या पक्की और उनका वर्तमान उपयोग;

(घ) मास्टर योजना/सेक्टर योजना/सड़क नेटवर्क योजना में दर्शित विद्यमान और प्रस्ताविक सड़कों की चौड़ाई को सम्मिलित करते हुए ब्यौरे;

(ङ) प्रस्तावित स्थल तक पहुंच सड़कें;

(च) हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइनें और ट्रांसफार्मर, यदि कोई हो;

(छ) तेल/गैस आपूर्ति लाइन, यदि कोई हो;

(ज) अन्य विद्यमान प्राकृतिक विशेषताएं जैसे नाला, जल निकाय, कुएं की विद्युत लाइनें, टेलिफोन लाइनें, जल प्रदाय और मल वहन लाइनें इत्यादि और पहुंच सड़कों के सम्बन्ध में स्थल की सतह और समुचित मापमान में परिधिरेखा; और

(झ) उत्तर दिशा और मापमान।

(2) आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त योजनाएं और विवरण आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित होंगे।

(3) आवेदक ऐसी अन्य सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदिष्ट की जाये।

(4) इस नियम के अधीन आवेदन, यदि आवेदक ऐसी वांछा करता है तो ऐसी नगरपालिका की दशा में, जहां संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रयोजन के लिए समुचित इंजताम है, आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसकी हार्ड प्रति प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5 आवेदनों का रजिस्टर.– नियम 4 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन प्ररूप-4 में संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे।

6. आवेदनों की संवीक्षा, जांच और निपटान.– (1) नियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, प्राधिकृत अधिकारी उसकी संवीक्षा करेगा और आवेदन में परिकल्पित अन्तर्वस्तु और तथ्यों और निम्नलिखित अन्य समर्थक दस्तावेजों को सत्यापित करेगा या सत्यापित करायेगा :–

(क) अभ्यर्पित भूमि के सम्बन्ध में धारकों के अधिकार और अभिलेख के अनुसार, उनका वर्तमान उपयोग;

(ख) क्या भूमि अर्जन के अधीन है या नहीं, के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(ग) विषयवस्तु पर विधिक विवाद्यकों, यदि कोई हों, पर रिपोर्ट;

(घ) क्षतिपूर्ति बन्धपत्र और शपथपत्र का सत्यापन; और

(ङ) कोई अन्य विधिक दस्तावेज, जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन के निपटान के लिए आवश्यक और मर्मभूत पाया जाये।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन की संवीक्षा के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी, किसी हितबद्ध व्यक्ति के आक्षेपों को मांगते हुए प्ररूप 5 में पन्द्रह दिन की लोक सूचना जारी करेगा। लोक सूचना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके कार्यालय के सूचना–पट्ट पर, अभ्यर्पित भूमि के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी और क्षेत्र में परिचालित किसी राज्य स्तरीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशन की लागत आवेदक द्वारा वहन की जायेगी।

(3) यदि उप–नियम (1) के अधीन आवेदन, दस्तावेजों और अन्य ब्यौरों की संवीक्षा के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि विषयवस्तु पर कोई अतिरिक्त जानकारी चाही जानी अपेक्षित है तो वह आवेदक से, आवेदन की प्राप्ति से दस दिन की कालावधि के भीतर, ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और आवेदक दस दिन के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा, जिसमें विफल होने पर

आवेदन का अगले दस दिन के भीतर एकपक्षीय रूप से निपटारा किया जा सकेगा और प्राधिकृत अधिकारी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए आदेश पारित करेगा।

(4) प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप–6 में भूमि का अभ्यर्पण स्वीकार करने और अनुज्ञा मंजूर करने से पूर्व, नगरपालिका के अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(5) यदि प्राधिकृत अधिकारी उप–नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कोई आदेश पारित करने में विफल रहता है तो वह विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, मामले को तीन दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो समुचित आदेश पारित करेगा जो नगरपालिका पर बाध्यकारी होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी आवेदन को स्वीकार करने का आदेश करता है तब अनुज्ञा ऐसे आदेश की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप–6 में मंजूर की जायेगी।

7. स्थल योजना का अनुमोदन.– नियम 6 के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् स्थल योजना तैयार की जायेगी और पट्टा विलेख के साथ आवेदक को जारी की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गयी स्थल योजना, नगरपालिका के अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

8. प्रभार.– (1) आवेदक विक्रय विलेख के निष्पादन के पूर्व प्रभारों की ऐसी रकम का संदाय करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

(2) आवेदक नगरपालिका द्वारा मांग किये जाने के नब्बे दिन के भीतर प्रभारों का निक्षेप करेगा:

परन्तु यदि आवेदक मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रभारों की रकम का निक्षेप करने में विफल रहता है तो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा रद्द की गयी समझी जायेगी।

अध्याय–3

विविध

9. पट्टा विलेख.– नियम 6 के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी और नियम 8 के अधीन प्रभारों के निक्षेप के पश्चात्, पट्टा विलेख राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से मुख्य नगरपालिक अधिकारी और अध्यक्ष द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसे नियम 6 के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गयी है या उसके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों या, यथास्थिति, अंतरितियों के पक्ष में, निष्पादित किया जायेगा।

10. पट्टे की अवधि और निबंधन और शर्तें.– इन नियमों के अधीन जारी किया गया पट्टा, ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें, उत्तराधिकार और अंतरण के अधिकार के साथ शाश्वतिक पूर्ण स्वामित्व आधार पर होगा।

11. दस्तावेजी साक्ष्य.– इन नियमों के अधीन मंजूर किये गये पूर्ण स्वामित्व के प्रत्येक पट्टे को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज प्ररूप–7 में तैयार किया जायेगा, जो राजस्थान राज्य के राज्यपाल के निमित्त और उसकी ओर से नगरपालिका के अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और पट्टाधारी के खर्चे पर सम्यक् रूप से स्टांपित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

12. अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित करने की शक्ति.– इस प्रकार मंजूर किया गया पट्टा ऐसे और सुधार प्रभारों और विकास प्रभारों या अन्य प्रभारों, जो राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायें, के उद्ग्रहण के अध्यधीन होगा और ऐसे और निबंधनों और शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन होगा जो राज्य सरकार इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति के अधीन अधिरोपित या आदिष्ट करे।

13. अन्य नियमों, उप–विधियों इत्यादि के उपबंधों का लागू होना.– इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अधीन बनाये गये अन्य नियमों और

उप–विधियों के उपबंध उस भूमि पर लागू होंगे जिसके लिए इन नियमों के अधीन पट्टाधृति अधिकार मंजूर किये गये हैं।

14. आवंटन का **प्रतिसंहरण**.– यदि अनुज्ञा की मंजूरी या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात्,–

(i) यह पाया जाता है कि अनुज्ञा की मंजूरी या पट्टा विलेख किसी तथ्य को छिपाकर या दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा या कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर, मानवीकरण द्वारा किसी विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में अभिप्राप्त किया गया है; या

(ii) यदि मंजूर की गयी अनुज्ञा या पट्टा विलेख के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है,

तो पट्टाकर्ता, आवेदक या, यथास्थिति, पट्टेदार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अनुज्ञा को प्रतिसंहृत या पट्टा विलेख को रद्द कर सकेगा और पट्टेदार किसी प्रतिकर और उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार नही होगा और ऐसी भूमि की प्रास्थिति वही होगी जो ऐसे अभ्यर्पण से पूर्व थी। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि ऐसी भूमि केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या के नियंत्रणाधीन स्थापित कानूनी या अकानूनी निकाय या प्राधिकरण या कंपनी से संबंधित है या उसमें निहित है तो ऐसी भूमि समस्त विल्लंगमों से रहित, ऐसी सरकार या निकाय या प्राधिकरण या कंपनी के लिए रखी गयी और उसमें निहित समझी जायेगी।

15. अभिलेख मंगाने और आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति.– राज्य सरकार समुचित मामलों में, अधिनियम की धारा 327 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

16. **शंकाओं का निराकरण.**– यदि इन नियमों के निर्वचन, व्याप्ति या लागू होने के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

17. **नियमों को शिथिल करने की शक्ति.**– आपवादिक मामलों में जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग में कोई कठिनाई कारित होती है, वहां वह किसी फीस या अन्य प्रभारों के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन शिथिल कर सकेगी जो वह मामले या मामलों के वर्ग को न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक समझे।

प्ररूप–1

[नियम–4(1) देखिए]

भूमि में के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए आवेदन

प्रेषिती,

प्राधिकृत अधिकारी,

....

....

फोटो

विषयः– नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क में विनिर्दिष्ट भूमि में के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए और पूर्ण स्वामित्व पट्टा की मंजूरी के लिए आवेदन।

श्रीमान्,

मैं/हम, भूमि में के विद्यमान अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन इसके द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसकी विशिष्टयां नीचे दी गयी हैः–

1.	आवेदक के ब्यौरे (क) नाम (ख) पिता/पति का नाम (ग) पूरा पता	

2.	क्षेत्र का ब्यौरा जिसके लिए आवेदन किया गया है (क) ग्राम और तहसील या वार्ड और शहर का नाम (ख) मकान सं. और क्षेत्र	
3.	आवेदन के साथ संलग्नक (क) भूमि में के अधिकारों के समर्थन में दस्तावेजों जैसे विक्रय विलेख इत्यादि की प्रमाणित प्रति और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के पड़ौस सहित आवेदित और पार्श्वस्थ भूमि के ब्यौरे। (ख) प्ररूप–2 में नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित शपथपत्र (ग) प्ररूप–3 में नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र	
4.	क्या भूखण्ड सीमा में कोई हाई/लो टेन्शन लाइन या ट्रान्सफार्मर है?	
5.	क्या आवेदित भूमि अर्जन के अधीन है?	
6.	क्या आवेदित भूमि के संबंध में कार्यवाहियां नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन लम्बित हैं?	
7.	क्या भूमि देवता या वक्फ से संबंधित है?	
8.	क्या भूमि केन्द्रीय या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित या के नियंत्रण के अधीन किसी लोक उपक्रम या प्राधिकरण या कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय से संबंधित है?	
9.	रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य किसी सड़क से दूरी	
10.	लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)	

11.	किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरे	
12.	आवेदित भूमि की पहुंच सड़क की चौड़ाई।	
13.	मास्टर योजना/सेक्टर योजना के अधीन वर्तमान भू उपयोग।	
14.	संदेय प्रभार	
15.	चालान की सं. और तारीख जिसके द्वारा फीस निक्षिप्त की गयी है।	
16.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
17.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
18.	पृष्ठों की कुल संख्या	
19.	आवेदन की तारीख	

घोषणा

(1) मैं/हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

(2) यह घोषणा की जाती है कि अनुज्ञा के लिए शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों के साथ इसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन सत्य और सही है और आवेदक नगरपालिका के पक्ष में भूमि के अधिकारों का अभ्यर्पण करने के लिए सक्षम है। मैं/हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69--क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि के उपयोग करने के मेरे/हमारे अधिकारों को निर्वापित करने का इच्छुक हूं/इच्छुक हैं। अतः मुझे/हमें विधि के अनुसार अपेक्षित अनुज्ञा मंजूर करें।

(3) इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि, जिसके लिए अनुज्ञा चाही गयी है, इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन नहीं है।

आवेदक का पता

आवेदक के हस्ताक्षर

....

(नाम)

....

संपर्क करने का संख्यांक और ई–मेल पता

प्राप्ति

आवेदक .... ने दिनांक .... को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक .... को रजिस्टर में क्रम संख्यांक .... पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्राप्तकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप–2

[नियम–4(1) देखिए]

शपथ–पत्र

मैं/हम

1. श्री.............................. पुत्र श्री ....

आयु .... निवासी ....

.... जिला ....

2. श्री.............................. पुत्र श्री ....

आयु .... निवासी ....

.... जिला ....

फोटो

इसके द्वारा शपथ लेता हूं/लेते हैं और

निम्नलिखित रूप में घोषणा करता हूं/करते हैं:–

1. कि मैं/हम नीचे वर्णित भूमि का/के धारक हूं/हैं और ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख जारी करने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69–क और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अभ्यर्पण की अनुज्ञा मंजूर करने के लिए आवेदित भूमि के बारे में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं है।

क्र.सं.	भूमि के संपूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कालोनी/गली और पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

2. कि मैं/हम, आवेदन में वर्णित प्रयोजन के लिए और सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अनुसार अपने अधिकारों को अभ्यर्पित करने का/के इच्छुक हूं/हैं।

3. कि मैं/हम नगरपालिका को लागू विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्यों और रकम का संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं पाबंद रहूंगा/रहेंगे।

4. कि राज्य सरकार और नगरपालिका द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त निदेशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।

5. कि आवेदित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी जिसके लिए यह मंजूर की गयी अनुज्ञा के अनुसार नगरपालिका के पक्ष में अधिकारों के अभ्यर्पण से पूर्व धारित की गयी थी और नगरपालिका के विहित मानकों और अनुमोदित योजना के अनुसार विकसित की जायेगी। उक्त भूमि विद्यमान विधि के अधीन नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं रखी जायेगी।

6. कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और प्रमाणिक हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

7. कि मैं/हम, नगरपालिका के सम्बन्ध में लागू सुसंगत भवन उप–विधियों, विनियमों, नियमों के उपबन्धों का इसके द्वारा स्वयं पालन करूंगा/करेंगे।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं/हम उपर्युक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 7 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

अभिसाक्षी

मेरे द्वारा पहचान किया गयाः

प्ररूप–3

[नियम–4(1) देखिए]

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं/हम

1. श्री.. पुत्र श्री ....
   आयु .... निवासी ....
   ग्राम.........................तहसील..................... जिला ....

2. श्री.. पुत्र श्री ....
   आयु .... निवासी ....
   ग्राम.........................तहसील..................... जिला ....

फोटो

इसके द्वारा शपथ लेता हूं/लेते हैं और

निम्नलिखित रूप में क्षतिपूर्ति करता हूं/करते हैं:–

(1) कि मैं/हम, इसके नीचे वर्णित भूमि, जिसके लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के धारक हूं/हैं।

क्र.सं.	भूमि के संपूर्ण ब्यौरे अर्थात् वार्ड/कालोनी/गली और पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

(2) कि मैं/हम, मामले में नगरपालिका द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञा के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबंद करता हूं/हैं।

(3) कि मैं/हम मंजूर की गयी अनुज्ञा या विक्रय विलेख के निष्पादन या अन्यथा के या आवेदक द्वारा कारित किसी कृत्य या लोप के कारण मामले में उद्भूत किसी विवाद के कारण कारित हानि, यदि कोई हो, के लिए नगरपालिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए स्वयं को इसके द्वारा पाबंद करता हूं/हैं।

(4) कि नगरपालिका को आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवेदक की अनुज्ञा को प्रत्याहृत करने और पट्टा विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी को कारित किसी धनीय हानि के लिए दायी होगा।

आवेदक

प्ररूप–4

(नियम–5 देखिए)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन भूमि के अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा के लिए आवेदनों का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदक और उसके माता पिता के नाम के साथ डाक का पता	आवेदन की प्राप्ति की तारीख	उस भूमि की विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञा चाही गई है			आवेदन के साथ प्राप्त दस्तावेज़ों की विशिष्टियां और दिनांक	चालान की संख्या और तारीख सहित आवेदन के साथ निक्षिप्त रकम के ब्यौरे।	अन्तिम आदेश की तारीख और क्या आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया	पट्टे की मंजूरी के लिए निक्षिप्त प्रभार	पट्टा विलेख जारी करने की तारीख	अभ्युक्तियां
			वार्ड/कालोनी/गली की संख्या	भूखण्ड सं. और पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई के साथ क्षेत्र (मीटर में)			स्वीकृत/अस्वीकृत			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14

प्ररूप–5

[नियम 6(2) देखिए]

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...

सं. :   दिनांकः

श्री / श्रीमती .... पुत्र / पत्नी.. जाति...............
ने नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार ....के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड / कालोनी / गली का नाम	पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध भू–खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के पन्द्रह दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

प्ररूप–6

[नियम 6(5) देखिए]

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय

मामला सं. और वर्ष

1. श्री .... पुत्र श्री ....

पता ....

.... आवेदक

विषयः– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन भूमि में के अधिकारों के अभ्यर्पण की मंजूरी की अनुज्ञा।

आदेश

दिनांक ....

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैंः–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क के अधीन, निम्नलिखित भूमि का................................के प्रयोजन के लिए और नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट भूमि के बारे में उसके/उनके निहित अधिकारों के अभ्यर्पण की अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया हैः–

नगर और जिले का नाम	वार्ड / कालोनी / गली का नाम	भूखण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (मीटर में)

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ उपर्युक्त भूमि को धारण करने के अधिकार का सबूत, क्षतिपूर्ति बंधपत्र और सम्यक् रूप से सत्यापित शपथपत्र, योजना और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

(3) यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों / कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने कार्यालय रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है और मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि के धारक के पास आवेदित भूमि में के अधिकार हैं और भूमि वर्तमान में.......................के रूप में उपयोग में ली जा रही है और आवेदक के आवेदन पर भूमि के उस प्रयोजन के उपयोग के लिए, जिसके लिए यह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अधिकारों के अभ्यर्पण के पूर्व उपयोग में ली जा रही थी, अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है।

(4) अतः अब, इसके द्वारा आदेश किया जाता है कि भूखण्ड संख्यांक..................... मापमान.................(मीटर) जो वार्ड / कालोनी / गली...........................में स्थित है, की भूमि पर आवेदक द्वारा अभ्यर्पित अधिकारों को, उक्त भूमि के उस प्रयोजन के उपयोग के लिए जिसके लिए वह अभ्यर्पण से पूर्व उपयोग में ली जा रही थी, इस प्रयोजन के लिए, स्वीकार किया जायेगा और उक्त भूमि इसके पश्चात्, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क की उप–धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन, इस आदेश की तारीख से नगरपालिका को लागू विधि, नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसरण में

आवेदक के पक्ष में उक्त भूमि के पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार की मंजूरी के लिए नगरपालिका में निहित और व्ययन के अधीन समझी जायेगी।

(5) इन नियमों के अधीन विहित और नगरपालिका या राज्य सरकार द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .... को अध्यक्ष के अनुमोदन से पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

सं. .... दिनांक ....

प्रति, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. श्री .... (आवेदक)

प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप–7

[नियम 11 देखिए]

पट्टा विलेख

यह करार राजस्थान के राज्यपाल की ओर से..............................(नगरपालिका का नाम) नगरपालिका के अध्यक्ष और मुख्य नगरपालिक अधिकारी के माध्यम से, जिसे इसमें इसके पश्चात् नगरपालिका या पट्टाकर्ता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती या अन्तरिती भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है) और श्री / श्रीमती..............................पुत्र श्री.................... ....जाति..........................व्यवसाय........................निवासी.. जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहा गया है (इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिती या अन्तरिती भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरूद्ध नहीं है) के बीच........................(दिनांक)........................(माह)................वर्ष को किया गया है।

यतः पट्टेदार ने भूमि में के अपने विद्यमान अधिकार...................... नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये हैं और उक्त अभ्यर्पण नगरपालिका द्वारा आदेश सं.................. दिनांक..................द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और पट्टेदार ने रसीद सं...................... दिनांक......................... द्वारा अपेक्षित प्रभार नगरपालिका में निक्षिप्त करा दिये हैं अतः नगरपालिका ने अब पट्टेदार को उक्त भू–भाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् भू–खण्ड कहा गया है) का पूर्ण स्वामित्व पट्टा मंजूर करने की दृष्टि से, जो वार्ड नं. / कालोनी / गली / भू–खण्ड सं. (यदि कोई हो) ....(वर्ग मीटर में)................. पट्टा क्षेत्र... में अवस्थित है और इस करार के साथ संलग्न उपाबंध में यथादर्शित इसके पड़ोस के क्षेत्र के साथ स्थल योजना में विस्तारपूर्वक यथा उल्लिखित सीमाओं और क्षेत्र द्वारा बंधित और लाल रंग में चिन्हित है और जो ऐसी समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन है जो भूमि से संलग्न थे और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–क की उप–धारा (1) के अधीन उन अधिकारों का जो नगरपालिका द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार करने से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे, ऐसे प्रयोजन के लिए

के लिए उक्त भूमि ऐसे अभ्यर्पण से पूर्व प्रयुक्त की जा रही थी, अर्थात् .... के प्रयोजन के लिए अन्तरित की जाती है किंतु प्रत्येक अपवाद, निर्बन्धन, संरक्षण, व्यावृत्तियों, निबंधनों और शर्तों के और अध्यधीन रहते हुए, इसके पश्चात् वर्णित रीति में उत्तराधिकारीय और अंतरणीय अधिकारों सहित उक्त प्रयोजन के लिए पट्टेदार को भूमि के उपयोग का पूर्ण अधिकार होगा।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :

1. उक्त भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी जिसके लिए वह ऐसे अभ्यर्पण से पूर्व प्रयुक्त की जा रही थी अर्थात्.......................... के प्रयोजन के लिए और पट्टेदार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन बनाये गये समस्त नियमों, विनियमों और उप–विधियों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का पालन करेगा।
   - (i) उक्त भूमि का धारक नगरपालिका के पक्ष में उक्त भूमि के अभ्यर्पण से पूर्व के कोई वार्षिक या कालिक किराया संदाय करने के लिए दायी नहीं था और इसलिए वह भविष्य में भी दायी नहीं होगा।
   - (ii) इस पट्टा विलेख के निबन्धों और शर्तों और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अध्यधीन जो ऐसी भूमियों को लागू है, यह चिरकाल के लिए एक पूर्ण स्वामित्व पट्टा विलेख है।
2. पट्टा इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं और शर्तों के सदैव अध्यधीन रहते हुए, अर्थात् पट्टाकर्ता उक्त भूखण्ड में या उसके नीचे स्थित खानों, खनिजों, कोयले, गोल्ड वाशिंग, खनिज तेलों और खदानों में अपना पूरा अधिकार और शक्ति अपने लिए आरक्षित रखता है और उसे सभी समय पर ऐसे सभी कार्य और बातें करने का भी पूरा अधिकार होगा जो उनकी तलाश करने, उनके खनन, उनको प्राप्त करने, हटाने और उनका उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन होगा। उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उक्त भूमि के तल के लिए या उस पर तत्समय खड़े किसी भवन के लिए किसी उर्ध्वाकार अवलम्ब (खड़े सहारे) की व्यवस्था करे या ऐसा अवलम्ब छोड़े। किन्तु

पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित अधिकारों या उनमें से किसी के प्रयोग से पट्टेदार को सीधे होने वाले नुकसान के लिए उसे सदैव उचित प्रतिकर देगा।

3. पट्टेदार अपने लिए, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिए पट्टाकर्ता से निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता है, अर्थात् :–

(i) पट्टाकर्ता को तत्समय प्रवृत्त अर्जन की विद्यमान विधि के अधीन किसी भी लोक प्रयोजन के लिए पट्टा भूमि को अर्जित करने का शाश्वत अधिकार होगा।

(ii) पट्टेदार केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी अन्य वित्तीय संस्थान जैसे जीवन बीमा निगम, अनुसूचित या राष्ट्रीकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी अन्य बैंक से ऋण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पट्टाकृत भूमि को बंधक रख सकेगा।

(iii) जब कभी भूखण्ड में के पट्टेदार का हक, किसी भी रीति से अंतरित किया जाता है, चाहे जो हो, अंतरिती उसमें अंतर्विष्ट समस्त प्रसंविदाओं और शर्तों द्वारा आबद्ध होगा और उसके लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होगा।

(iv) जब कभी भूखण्ड में के पट्टेदार का हक, किसी भी रीति से अंतरित किया जाता है, चाहे जो हो, अंतरिती अंतरण के तीन माह के भीतर, पट्टाकर्ता को ऐसे अन्तरण का लिखित में नोटिस देगा। पट्टेदार की मृत्यु की दशा में, वह व्यक्ति जिस पर मृतक का हक न्यागत होता है, न्यागमन के तीन मास के भीतर, पट्टाकर्ता को ऐसे न्यागमन का नोटिस देगा। अंतरिती या, यथास्थिति, वह व्यक्ति जिस पर हक न्यागत होता है, अंतरण या न्यागमन के सबूत के रूप में दस्तावेज (दस्तावेजों) की सत्यापित प्रतियां पट्टाकर्ता को प्रदाय करेगा।

(v) पट्टेदार, समय–समय पर और सभी समयों पर हर प्रकार की ऐसी सभी दरों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो इसके द्वारा पट्टान्तरित भूखण्ड पर या उस पर बनाये जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू–स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान इसके पश्चात् किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किये गये हैं या किये जायें।

(vi) इस प्रकार पट्टान्तरित भूखण्ड के संबंध में शोध्य कर और अन्य संदायों के समस्त बकाया उसी रीति से वसूलीय होंगे जैसे भू राजस्व की बकाया वसूलनीय होती है।

(vii) पट्टेदार, नगरपालिका या तत्समय प्रवृत्त किसी प्राधिकरण के भवन संबंधी, जल निकास संबंधी और अन्य उप–विधियों का सभी प्रकार से अनुपालन करेगा और उनसे आबद्ध होगा। पट्टेदार ऐसे अन्य समस्त निबंधनों और शर्तों का भी पालन करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जावें।

(viii) पट्टेदार, नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित मंजूरी या अनुज्ञा के बिना भूखण्ड पर किसी भवन का परिनिर्माण या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।

(ix) पट्टेदार, पट्टाकर्ता की लिखित सहमति के बिना भूखण्ड पर या उस पर बने किसी भवन में न तो कोई व्यापार या कारबार, चाहे कोई भी हो, चलायेगा या न उसे चलाये जाने की अनुज्ञा देगा अथवा उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग करेगा या इसके प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा जिसके लिए अभ्यर्पण से पूर्व ऐसी भूमि प्रयोग में ली जा रही थी या उस पर कोई ऐसा कार्य या बात न तो करेगा या करायेगा, चाहे जो भी हो, जो पट्टाकर्ता की राय में पट्टाकर्ता और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को उपताप, क्षोभ या विघ्न कारित करता है :

परंतु यदि पट्टेदार भूमि के अभ्यर्पण से पूर्व विद्यमान उपयोग से भिन्न प्रयोजन के लिए उक्त भूखण्ड या उस पर के भवन का उपयोग करने की वांछा करता है तो पट्टाकर्ता उपयोग के ऐसे परिवर्तन को, ऐसे प्रभारों या फीस के संदाय को सम्मिलित करते हुए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, अनुज्ञात कर सकेगा जैसा पट्टाकर्ता अपने पूर्ण विवेकाधिकार से अवधारित करे।

(x) पट्टेदार, पट्टाकर्ता को यह समाधान करने के लिए कि इसमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा और शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं, सभी सुसंगत समय पर भूखण्ड पर पहुंच का अधिकार देगा।

(xi) यदि अनुज्ञा की मंजूरी या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि अनुज्ञा की मंजूरी या पट्टा विलेख किसी तथ्य को छिपाकर या दुर्व्यपदेशन या कपट या कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर, प्रतिरूपण, दुरभिसंधि से या किसी विधि के उल्लंघन में प्राप्त किया गया है या यदि मंजूर की गयी अनुज्ञा या पट्टा विलेख के किसी निबंधन या शर्त का अतिक्रमण किया गया है, तो पट्टाकर्ता सुने जाने का उचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् पट्टा विलेख रद्द कर सकेगा और पट्टेदार किसी प्रतिकर और उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा और ऐसी भूमि की प्रास्थिति वही होगी जो भूमि के अभ्यर्पण के पूर्व थी। यदि किसी मामले में यह पाया जाता है कि ऐसी भूमि केन्द्रीय या राज्य या कानूनी या अकानूनी निकाय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित या नियंत्रणाधीन या प्राधिकरण या कंपनी से संबंधित या में निहित है तो ऐसी भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त, ऐसी सरकार या निकाय या प्राधिकरण या, यथास्थिति, कंपनी के लिए रखी गयी और उसमें निहित समझी जायेगी:

परंतु इसमें कुछ भी प्रतिकूल अंतर्विष्ट होने पर, पट्टाकर्ता यथा पूर्वोक्त अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, ऐसी रकम की प्राप्ति पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसके द्वारा अवधारित की जाये, अस्थायी रूप से या अन्यथा भंग को अधित्यक्त या माफ कर सकेगा और संदाय की रकम भी स्वीकार कर सकेगा जो 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के ब्याज के साथ यथा पूर्वोक्त बकाया के रूप में होगी।

(xii) इस पट्टा विलेख का प्रतिसंहरण या रद्दकरण तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पट्टाकर्ता द्वारा,–

(क) विशिष्ट भंग की शिकायत विनिर्दिष्ट करते हुए, और

(ख) यदि भंग उपचार योग्य है, तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा करते हुए,

लिखित में पट्टेदार को नोटिस तामील न करा दिया गया हो।

यदि पट्टेदार ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में वर्णित किया जाये, भंग का उपचार करने में असफल रहता है तो पट्टाकर्ता पट्टा प्रतिसंहृत कर सकेगा या अपने विवेकाधिकार से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे ऐसे प्रतिसंहरण से अवमुक्त कर सकेगा।

(xiii) इस विलेख के अधीन या इसके सम्बन्ध में (ऐसे विषयो को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इस विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध है) उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, विवाद या मतभेद की दशा में उसे पट्टाकर्ता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा। पट्टेदार ऐसा कोई आक्षेप नहीं उठायेगा कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है और यह कि उसे ऐसे मामलों में संव्यवहार करना पड़ता है जो पट्टे से संबंधित है या यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में, उसने विवाद या मतभेद के समस्त या किन्हीं मामलों पर अपनी राय अभिव्यक्त की है। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पट्टाकर्ता के निमित्त और उसकी ओर से और उसके निदेश और आदेश द्वारा श्री.....................ने और पट्टेदार श्री/श्रीमती..........................ने ऊपर लिखित दिन और वर्ष को हस्ताक्षर किये।

नाम..	नाम....................................
पट्टाकर्ता के निमित्त और उसकी ओर से	पट्टेदार के लिए
पदनाम	पता..
	....

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची

नगर निगम/परिषद/बोर्ड की स्थल योजना मे वार्ड नं./कालोनी/गली.............. में अवस्थित भूमि का खण्ड जिसका अभ्यर्पण नगरपालिका द्वारा............................दिनांक........... ....को स्वीकृत किया था और जिसकी माप..........................(मीटर मे) है या पडौस सहित सीमाबद्व है और माप निम्नानुसार है:–

उत्तर...

पूर्व...

दक्षिण...

पश्चिम..

और उपाबद्व योजना मे दर्शित किया गया है और इसकी सीमाएं लाल रंग से चिन्हित की गयी है।

1. श्री....................................

2. श्री/श्रीमती...............................

(पट्टेदार) की उपस्थिति मे और

1.श्री...

....

2.श्री...

की उपस्थिति मे

राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के निमित्त और उनकी ओर से और

आदेश से...................................

श्री.. द्वारा हस्ताक्षर किये गये

राज्यपाल के आदेश से,

(पवन अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव